::उरायुक्त (अपीत्स) का कार्यातय,वस्तु एवं सेवा करऔरकेन्द्रीय उत्पाद शुल्कः: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST &CENTRAL EXCISE

द्वितीय तम,जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhaven रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road

<u>राजकोट / Raikot – 360 001</u>

Tele Fax No. 0281 – 2477952/2441142Email: cexappealsrajkot@gmail.com

रजिल्हाई <mark>डाक ए.डी.दवारा</mark> ः

ह्य Appeal /File No.

V2/420/RAJ/2012

मूल आदेश सं / O.I.O. No. 66/JC/2011 ব্রিলান্ড্য/

Date

30.12.2011/20.01.2013 *

अपीरा **आदेश संख्या(O**rder-In-Appeal No.):

KCH-EXCUS-000-APP-061-2020

आदेश का दिनांक /

Date of Order:

(B)

27.07.2020

जारो करने की तारीख /

Date of issue:

27.07.2020

श्री गोपी जाथ, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri. Gopi Nath, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुक्क/ सेवाकर/वस्तु पर्वलेवाकर, राजकोट / जाममगर / गांधीधाम। द्वारा उपरितृशित जारी मूल आदेश से मुजित: /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Debuty/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST,

Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

द अपीलकर्ताक्षप्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of theAppellant&Respondent :-

M/s Gantam Frieght Pvt. Limited, Plot No. 24-26, Sector 10-0,64DC area; Gandhidham (Kutch).

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति जिन्नसिखित तरीके में उपयक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35D के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 85 के अंतर्गत जिल्लाकित जगह की जा सकती है ।/

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section, 35B of CEA, 1944 / Under Section 36 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मानते सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं संवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर- के- पुरस, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए ।/

The special bench of Customs. Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बतार गए अपीकों के अलावा शेप सभी अपीतें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुक्क एवं सेवाकर अपोकीय ज्यायाधिकरण (सिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तक, बहुमाली भवन असावी अहमदाबाद- ३८००१६को की लांनी चाहिए !/

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd Floor Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para- r[a] above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तृत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुरूक (अपील) जियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपन्न EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुरूक की माँग, ज्याज की माँग और नगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक हैं तो इमशा (,000/- रुपये, 5,000/- रुपये,अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुरूक की प्रति संत्रक करें। निर्धारित शुरूक का भुगतान, संविधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिजक क्षेत्र के वेंक द्वारा जानी रेखा जिला चाहिए। संविधित अपलान, वेंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संविधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिजक की के व्यायाधिकरण की शाखा किया जाना चाहिए। संविधित अपलान से के साथ रियत हैं। स्थान अवदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आदेदन-पन के साथ 500/- रुपए का लिखेतित शुरूक कमा करना होगा।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of dutydemand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अर्थाल, दिल अधिलियन,1994 की धारा 86(1) के अंतर्शत सेवाकर लियमवाली, 1984, के लियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रयत्न 8.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति आय में संदर्भ कर्म (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी थाहिए) और इनमें से कम में कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग, ज्यान की गाँग और जागाया गया समीला, एकए 5 ताख का उसके कम,5 लाख क्ष्म था 50 लाख काम एक अथवा 50 लाख काम से कि है तो क्रमशा 1,000/- कार्य, 5,000/- क्ष्म अथवा 10,000/- क्ष्म के लिखीरित जामा शुक्क की प्रति संलब्ध करें। निर्धारित शुक्क का शुनतान, संबंधित अर्थाओं निर्मायिकरण की शाखा के सहायक रिजन्दार के जाम से किसी भी साविजनक क्षेत्र के द्वारा जारी रेखांकित बेंक इंग्लेट द्वारा जाना चाहिए। चेंचित इंग्लेट का शुनतान, बेंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थान आदेश (स्ट ऑडर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- कपए का निर्धारित शुक्क कमा करना होगा।/

The appeal under sub section (i) of Section 86 of the Pinance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be fitted in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less. Rs. 5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Laths, Rs. 10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Laths, Rs. 10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank trait is about of the Assistant Registrar of the bench of relbunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

किए अधिकियार 1994 की धारा 85 की उप-धाराओं (2) एवं (2/V के अंतर्गत दुर्ज की यथी अधीर, पेवाकर वियमवाली, 1994, के लियन स एवं ((2A) के तहत निधारित एपर 8.0.-7 में की जो संबेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केनदीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपीरा), केन्द्रीय उत्सद शुक्त इदार। पारित आदेश की प्रतियाँ संसम्न को (उनमें से एक प्रांते प्रमाणित होती चाहिए) और आयुक्त दवारा एहायक आयक्त अपना अपन्यत, केन्द्रीय उत्पाद शुरुक/ क्षे**वाकर**, को अपीलीय न्यामाधिकारण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ 7 जराउँ काळी होशी [।] /

The expect under sub-section (2) and (2A) of the section 36 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Role 9 (2) & 9(27) of the Sprice Tev Aures, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner. Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissionerauthorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise (Service Tax to the ine appeal before the Appealate Tribunal.

्र १८५५ की धारा 35एफ के अंतरीत, जो की विसीय अधिनियस, १२३५ की धारा 33 के अंतर्गत सेवाकर को भी **तागू की गई है,** इस आदेश के प्रति अपीतीय प्राणिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्कारूका कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्भानी **विदादित है**. या जुर्माना, जव केटल जुमांमा विवादित है, का भुगतान किया जाएँ, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गन जला कि जाने वाला अपँक्षित देय राशि दस करीड इनए से अधिक में हो।

कंगद्रीय उत्पद्ध शृत्क एवं प्रेवाका के अंतर्गत भागा किए गए शुक्या से जिल्ला शासिस है

राया ११ डी के अंतर्गत स्थम

(n)

A. . .

English Control

प्रेनवंट जमा की भी गई गलत राशि (ii)

सेन्बेट जमा नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत देव रकत

- दशर्त यह कि इस धारा के प्रावधान दिसंध (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के उसक्ष

- वशर्त यह कि इत धारा के प्रावणन विशेष (सं. 2) अधिनयम 2014 के आरम से पूर्व किसी अपीतीय प्राधिकारों के समक्ष विधाराधीन स्थान अज़ी पर्व अपीत को बार कहीं होंगे!/

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is case made applicable to Service Tax under Section 35 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall be before the Tribunal or payment of 10% of the duty diamended where duty or duty and penalty are in dispute, or central vivide in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a beling of Rs. 10 Crores.

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include:

(i) amount determined under Section II D:
(ii) amount of erroneous Central Credit taken;
(iii) amount oayable under Rule 5 of the Central Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

शहर अन्य को अन्य आदेखन : शहर जिल्ला को अनुमें देखां के दिन के किस के क (C)

बदि भार के किसी नकसान के मामले में, एहं। जुकरात किसी मार को किसी कारखाने से भंडाए गृह के पारणना के दौरान या विभी जन्य कारखाने या किसी एक भंडाए गृह से दासरे मंडार गृह भारतान के दौरान, या किसी भंडार गृह में यो भंडारण में मान के प्रसंस्करण के दौरान. किसी कारखाने था किसी मंडार गृह में या भंडा के नुकसान के मानके थे। किसी कारखाने था किसी मंडार गृह में मान के नुकसान के मानके थे। कि case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse 121

ध्यात के बहुए किसी एक्ट्र या क्षेत्र की वियंत कर रहे माल के विकित्याण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुरक के छुट (पिवेट) के जानते में, जो आतर के बाहर किसी राम्ह या क्षेत्र की निर्चात की शर्म किए of country or territory outside India of on exclosible material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. 40:

यदि असाध शुस्क का क्ष्मतान किए दिना श्रास्त के बहुर, नेपात या भ्रष्टान को मात निर्मात किया गण्यु है। / in case of Boods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. • (11)

तुनिश्चित उत्पाद के उत्पादम शक्क के भुगतान के लिए जो इयुटी केडीट इस अधिनियम एवं इसके विक्रिन प्रावधानों के तहत मानर की गई है जीत ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के देवता वित्त अधिनियम (स. 2) 1998 की धौरा 100 के ट्वारा नियत की गई तारीस अथवा समायादिकि पर जा कहाने परित्त किए गए हैं।/ th selections and the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the provisions of the Committee of the

उपरोब्द आवंदन की दो प्रतियां प्रथा संख्या EA-8 में. जो की किन्दीय उत्पादन शुक्य (अपील)नियलावली,2001, के नियम १ के अंतर्यत विलिटिंग्ट हैं, इस आदेश के प्रीरंगण के 2 माह के अंतर्यत की क्षांत्र प्राप्त आदंदन के लाथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियं नियम (1944 की पार 35-BS के तहत निर्धारित शुक्य की अदासगी के साल्य के तीय प्रतियं कि किन्द्र य उत्पाद शुक्य अधिनियम, 1944 की पार 35-BS के तहत निर्धारित शुक्य की अदासगी के साल्य के तीय प्रतियं के कार्य के तीय कार्य के तीय के तीय के तीय कार्य के तियं के त

पुनरे अप आदेवत के साथ निम्ना**ले** कित निर्धारित शुक्क की अदायागे की जानी चाहिए। जहाँ संतरन रकत एक लाख रूपमें या उससे कम हो तो रूपये 2007 - का शुगतान किया। जाए और यदि संतरन **रकम एक लाख** रूपये से ज्यादा हो जहां तरका रका लोग कर तो करने के उसमें हो हो समय 2007 को नुभान किया जिस्से पाद स्थान रेका समय से उसि है। जो अपने 1000 न का भूमतान किया अपने The revision application shall be accompanied by a rec of Rs. 2007- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 10007- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

पढ़ि इस आदेश में कई मूल अधेशों का सलावेश हैं तो पत्येक मुल जादेश के लिए शुक्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना पाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथानियनि अपैलीय नयधिकरण की एक अपीत या केंद्रीय सरकार की एक आयेदन किया जाता हैं। / In case, if the order covers various umbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be said in the aloresaid meaner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lake fee of Re. 1007- for each. (D)

यथानंशोधित न्यायान्य शुरुत अधिनियम, 1975, के अनुसूची-। के अनुसार मूल आदेश एवं स्थानन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायान्य शुरुत टिकिट तना होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall been a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended. (E)

सीमा शुरुक, केम्द्रीय उत्पाद शुरुक एवं सेवाकर अपीकीय स्थायाधिकरण (कार्य विधि), कियरगढली. 1982 में वर्णित एवं अन्य संविन्धित मामार्गः को कर्मिमसित करने वाके सियमों की और भी ध्यान अकर्णित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)

उन्हां अञ्चेतीय राधिकरी को अपीत दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवेनतम प्राय्थामों के तिए, अ<mark>पीतार्थी वि</mark>भागीय वेबसाइट ल्फारांग्डेड्ट हुन्य in को देख सकते हैं ! / Por the elaborare, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may belor to the Departmental website www.cbec.gov.in. -6,

: ORDER-IN-APPEAL:

The present appeal is restored for de-novo proceedings on directions received from the Hon'ble CESTAT, West Zonal Bench, Ahmedabad vide Order No. A/11254/2013 dated 26.09.2013. The said appeal was filed by M/s Gautam Freight Pvt. Ltd., Plot No. 24-26, Sector 10-C, GIDC Area, Gandhidham (Kutch) (hereinafter referred to as "the appellant") against the Order-in-Original No. 66/JC/2011 dated 30.12.2011/20.01.2012 (hereinafter referred to as 'the impugned order') passed by the Joint Commissioner, Central Excise, Rajkot (hereinafter referred to as 'the lower adjudicating authority').

- 2. Briefly stated, the facts of the case are that Show Cause Notice No. V.ST/AR-GND/RJT/JC/227/10 dated 12.10.2010 was issued to the appellant for non-payment of service tax. The adjudicating authority confirmed demand of service tax of Rs. 5,81,535/- along with interest and imposed penalty vide the impugned order. Aggrieved, the appellant has filed the appeal.
- The Appellant had opted for "Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 [for short-SVLDRS] for the issue under appeal and that the designated committee has accepted their application under SVLDRS and issued discharge certificate dated 14.01.2020 (SVLDRS-4) to the appellant in terms of provisions of Section 127 of the Finance Act, 2019.
- 4. I find that as per provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019, in respect of a declaration filed under SVLDRS which is accepted by the designated committee and issued discharge certificate, the appeal before appellate authorities challenging the issue/tax dues for which settlement is sought under SVLDRS, will be deemed to have been withdrawn. The relevant provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019 is as under:
 - "(6) Where the declarant has filed an appeal or reference or a reply to the show cause notice against any order or notice giving rise to the tax dues, before the appellate forum, other than the Supreme Court or the High Court, then, notwithstanding anything contained in any other provisions of any law for the time being in force, such appeal or reference or reply shall be deemed to have been withdrawn."

In view thereof, the appeal under consideration is to be considered as withdrawn. In the second sec 5.

Mel

Accordingly, I dismiss the appeal as withdrawn.

(GOPI NATH) Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D. To,

M/s Gautam Freight Pvt. Ltd., Plot No. 24-26. Sector 10-C, GIDC Area, Gandhidham (Kutch)

मैसर्स गौतम फ्रेट प्रा। लिमिटेड, प्लॉट नंबर 24-26, सेक्टर 10-सी, जीआईडीसी एरिया, गांधीधाम (कच्छ)



प्रतिलिपि:-

- प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीधाम आयुक्तालय, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) संयुक्त आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीधाम आयुक्तालय, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गार्ड फ़ाइल।

